यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 777 सन 2023
अनवान :—

1. जगदीश चन्द्र पुत्र शेखु पुत्र मालाराम शेखु जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 27/05/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीएक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ता 15 व प0न0 394/427(13) किला न0 21 प0न0 394/431 (59) के किला न0 1 ,2 ,9 कुल 29 किता की 5.3250हक भूमि मय गै0म0 नहरी बारानी दर्ज है।

रोही मौजा चक 12 एनटीआर की भूमि राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है जबकि वादी की भूमि नहरी है जिसमें सिचाई होती है तथा आबीयान लगता है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बारानी दर्ज है जो गलत है इसलिये वादी न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादी के जिन प0न0 किला नम्बर की भूमि नहरी है उसे राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जावे ।

उक्त भूमि सदैव से नहरी भूमि है तथा मौके पर पानी लगता है एवं सिचाई विभाग के रिकार्ड में भी नहरी दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है जिससे वादी का अपूर्णीय क्षति होती है।

वादी ने कई मर्तबा प्रतिवाद को निवेदन किया की वादी की बारानी भूमि को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज किया जावे किन्तु वादी के निवेदन को नही सुना गया इसलिये वादी ने यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ता 15 व प0न0 394/427(13) किला न0 21 प0न0 394/431 (59) के किला न0 1 ,2 ,9 कुल 29 किता की 5.3250हैक भूमि को राजस्व रिकार्ड में बारानी के स्थान पर नहरी दर्ज की जाने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी का जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की चक रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 19 में जगदीश चन्द्र पुत्र मालाराम शेखु हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन बरवाली खातेदार रहन एसबीआई शाखा रामगढ उज्जलवास प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ता 15 व प0न0 394/427(13) किला न0 21 प0न0 394/431 (59) के किला न0 1 ,2 ,9 कुल 29 किता की 5.3250हैक गै0मु0 रास्ता 0.177हैक बारानी 5.136हैक नहरी 0.012हैक दर्ज रिकार्ड है राजस्व रिकार्ड के अनसुार भूमि बारानी दर्ज है जो बन्दोबस्त से चला आ रहा है नहरी कि[illegible] सम्बध में सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जावे पैरोकार राज के कथनानुस[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:26 IST
Reason: SelfAttested

अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग [illegible]र्ट के अनुसार (रो[illegible]जा चक 12 एनटीआर)नेठराना वितरिका के प0न0 393/43[illegible]0) के किला न0 1 [illegible]ता 12 प0न0 394/427(13) किला न0 21 ,नहरी है रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ता 15 व प0न0 394/427(13) किला न0 21 प0न0 394/431 (59) के किला न0 1 ,2 ,9 कुल 29 किता की 5.3250हक भूमि मय गै0मु0 नहरी बारानी दर्ज है

उक्त भूमि में वर्तमान में पानी लगता है अर्थात सिचाई हो रही है एव सिचाई विभाग की रिपोर्ट अनुसार भी वादी की भूमि नहरी है सिचाई विभाग की रिपोर्ट में दर्ज नहरी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज की जावे वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की भूमि बारानी दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी नहरी भूमि को राजस्व रिकार्ड में नहरी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की मौके पर भूमि नहरी है या नही सिचाई विभाग के द्वारा ही तय किया जाता है सिचाई विभाग के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए नहरी की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ता 15 व प0न0 394/427(13) किला न0 21 प0न0 394/431 (59) के किला न0 1 ,2 ,9 कुल 29 किता की 5.3250हक भूमि मय गै0मु0 नहरी बारानी दर्ज है।

वादी का कथन है कि उसकी भूमि मौके पर नहरी है नहर का पानी लगता है सिचाई विभाग की बारी बनी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है जिसे संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोही मौज चक 12 एनटीआर /नेठराना वितरिका के प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ,2 ,9 ता 12 प0न0 394/427(13) किला न0 21 ,नहरी है सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वादी की कुछ भूमि नहरी है तथा शेष भूमि अनकमाण्ड/बारानी है वादी सिचाई विभाग की रिपोर्ट में जितनी भूमि नहरी दर्ज है उतनी भूमि ही नहरी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है शेष भूमि यथावत रहेगी

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि मौके पर नहरी है राजस्व रिकार्ड में बारानी से नहरी दर्ज करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतो एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट अनुसार साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है वादी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ता 15 व प0न0 394/427(13) किला न0 21 प0न0 394/431 (59) के किला न0 1 ,2 ,9 कुल 29 किता की 5.3250हैक भूमि जो राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है में से प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ,2 ,9 ता 12 प0न0 394/427(13) किला न0 21 की भूमि को राजस्व रिकार्ड में बारानी के स्थान पर नहरी /संशोधन दर्ज किया जाता है वादी की भूमि बारानी से नहरी दर्ज करने पर यदि अन्तर राशि देय है तो अन्तर राशि की गणना तहसीलदार अपने स्तर से करेगे तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **श्री पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –737/2023

अनवान :–

1. जगदीश चन्द्र पुत्र शेखु पुत्र मालाराम शेखु जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 777 सन 2023 निर्णय दिनांक –27/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 19 के प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ता 15 व प0न0 394/427(13) किला न0 21 प0न0 394/431 (59) के किला न0 1 ,2 ,9 कुल 29 किता की 5.3250हैक भूमि जो राजस्व रिकार्ड में बारानी दर्ज है में से प0न0 393/431(60) के किला न0 1 ,2 ,9 ता 12 प0न0 394/427(13) किला न0 21 की भूमि को राजस्व रिकार्ड में बारानी के स्थान पर नहरी /संशोधन दर्ज किया जाता है वादी की भूमि बारानी से नहरी दर्ज करने पर यदि अन्तर राशि देय है तो अन्तर राशि की गणना तहसीलदार अपने स्तर से करेगे तत्पश्चात राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/5/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:26 IST
Reason: SelfAttested